न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 537 / 2025

श्रीमती रेखा कुमावत पत्नि श्री सुनिल कुममार, जाति कुमावत, निवासी ग्राम बारवा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, मो0नं0 9119192989

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 29.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 537 / 2025 पर दिनांक 11.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 5336—5337 दिनांक 11.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1450 दिनांक 24.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया श्रीमती रेखा कुमावत का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2025 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ जो सूचना के अधिकार पंजिका के क्रमांक 39 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के क्रम मे कार्यालय के पत्रांक 1366 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा प्रार्थिया को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1450 दिनांक 24.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया श्रीमती रेखा कुमावत का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2025 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ जो सूचना के अधिकार पंजिका के क्रमांक 39 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के क्रम मे कार्यालय के पत्रांक 1366 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा प्रार्थिया को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं